न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/10615/2003/जोधपुर

1 जमना देवी पत्नी हरजीराम जाट (फौत) नाम तर्क
2 तुलसी बेवा हरजीराम जाट
3 पूनी पत्नी प्रभूराम जाट
4 प्रभूराम पुत्र गोरखराम जाट सभी निवासीगण ग्राम बावडी तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर

अपीलार्थीगण

बनाम

1 चौथाराम पुत्र कवंरा राम
2 लादूराम पुत्र कवंरा राम जाट
3 बसीराम पुत्र कवंरा राम जाट
4 भींयाराम पुत्र कवंरा राम जाट
5 श्रीमती चुन्नी बेवा कवंरा राम जाट सभी जाति जाट निवासीयान जालेली दइकडा तहसील जोधपुर
6 किशनाराम पुत्र कवंरा राम जाट निवासी जालेरी दइकडा हाल लांसनायक 2 विकास प्लाटून आई ए ए कंपनी जरिये 56 ए पी ओर
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भोपालगढ

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः श्री घनश्यामसिंह लखावत वकील अपीलार्थीगण।
श्री सुनिल गर्ग वकील प्रत्यर्थीगण।
श्रीमती पूनम माथुर अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांकः.04.12.19

यह द्वितीय अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 11/97 में पारित निर्णय दिनांक 24.2. 2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थीगण ने एक वाद अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर, बिलाडा के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बावडी स्थिति आराजी खसरा नम्बर 2412 रकबा 183 बीघा 9 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2412/1 रकबा 5 बिस्वा भूमि जागीर ठिकाना महाराज हरीसिंह के समय से वादीगण के पूर्वज हरजीराम पुत्र सांवलराम जाति जाट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। लगान जागीरदार को देते थे जिसकी रसीद संख्या 3 दनांक 1.3. 1954 व 30.4.43 प्रस्तुत है। उक्त आराजीयात पर हरजीराम ही काश्त करते थे परन्तु सैटलमेन्ट के दौरान गलत रूप से कवंराराम का नाम हरजीराम के साथ अंकित कर दिया जबकि कवंराराम का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। हरजीराम की रहवासी ढाणी बनी हुई है। अतः वाद डिक्री किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। प्रतिवादी संख्या 2 से 7 की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 12.1.96 से वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। इसके विरूद्व प्रतिवादीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 24.2.2001 से अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण की तरफ से अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया है एवं जबाब दावा प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा है। पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जबाबदावा प्रस्तुत नहीं किया जाने पर जबाब बन्द किया गया है। जिससे प्रतिवादीगण प्रतयर्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है एवं अब इस हेतु पुनः प्रकरण प्रतिप्रेषित नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है। वे विवादित भूमि से 40–45 किलोमीटर दूर निवास करते हैं। भू प्रबन्ध के दौरान गलती से उनका नाम जोड दिया गया जिससे वादीगण अपीलार्थीगण के हित प्रभावित नहीं हो सकते। प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों में सम्वत 2011 से पूर्व से वादीगण के पूर्वज हरजीराम का ही कब्जा काश्त होना साबित होता है। दिनांक 15.10.55 को इस आराजी से प्रतिवादीगण वर्तमान प्रत्यर्थीगण का कोई सरोकार अभिलेख साक्ष्य से प्रकट नहीं है। पश्चात में निराधार रूप से जमाबन्दी सम्वत 2024 से 2027 में इनका नाम आया जो भू अभिलेख नियम 166 के अनुसार एक जमाबन्दी से दूसरी जमाबन्दी में हुई लेखनी की अशुद्वी होने से बिना नोटिस दिये पी–27 फर्द बदर द्वारा शुद्व करने योग्य थी जो राजस्व कर्मियों ने गफलत से शुद्व नहीं की। इस कारण घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद लाना पडा। इनका इन्द्राज अभिलेख में निराधार रूप से आया और यह काबिज

काश्त कभी नहीं रहे। वह इन्द्राज गलती से लिखी गई नुमाईशी इन्द्राज मात्र था।

4. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि गिरदावरी सम्वत 2018 के समय कृषक के कालम में इनका नाम हमारे साथ गलती से लिखा गया किन्तु सम्वत 2018 में काश्त बदस्तुर अर्थात पूर्वानुसार (सम्वत 2011 से 2017 अनुसार) हमारी ही अंकित है। सम्वत 2019 में काश्त ढाणी हराराम पुत्र सालू (हराराम अर्थात हरजीराम) तथा उन्हालु में हराराम अंकित है। ढाणी की पुष्टि बाद में वाद दायर करने पर आदेश 26 नियम 4 सी.पी.सी. के कमीश्नर रिपोर्ट से भी होती है। कमीश्नर रिपोर्ट में हमारा कब्जा काश्त ढाणी व पानी का टांका होने का स्पष्ट अंकन है। सम्वत 2020 व 2021 में भी काश्त बदस्तूर अर्थात पूर्वानुसार हमारी ही दर्ज होना अंकित है। दिनांक 30. 4.43 की महकमा खास की रसीद में भी हमारा नाम अंकित है। प्रदर्श 7ए सम्वत 2011 में हरजी पुत्र सालू रसीद में अंकित है। दिनांक 2.3.58 की रसीद तथा सम्वत 2015 की रसीद तथा दिनांक 20.8.59 रकम जमा कराने वाले के लिये हरजी पुत्र सालू सम्वत 2011 में हरजी पुत्र सालू अंकित है। दिनांक 15.10.55 को और उससे पूर्व इनका नाम किसी भी रूप में अर्थात सही, गलत, नुमाईशी, वास्तविक किसी भी रूप में दर्ज नहीं है। दिनांक 15.10.55 को हम बापीदार दर्ज होने से खातेदार काश्तकार हो गए। दिनांक 15.10.55 के बाद सम्वत 2018 की गिरदावरी में गलत व नुमाईशी अशुद्ध इन्द्राज के आधार पर इनका नाम कहीं पर आया भी है तो वह अशुद्धी की पुनरावृति मात्र है। उसके आधार पर कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे उनका कब्जा काश्त होना साबित हो सके। भू राजस्व कर्मचारी की गलती से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को प्रति प्रेषित करने में कानूनी भूल की है। पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के बाद जबाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रकरण को सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित नहीं किया जा सकता।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने आदेश 41 नियम 27 सी. पी.सी. के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने एवं इसके साथ प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से 2014 एवं 2015 से 2016 की प्रमाणित प्रतियों को अभिलेख पर लिये जाने एवं अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण की समुचित तामील नहीं कराई गई है। प्रतिवादीगण की तरफ से कोई अधिवक्ता भी नियुक्त नहीं किया गया एवं न ही उपस्थित हुआ है। गलत रूप से एकतरफा कार्यवाही की गई है। विवादित आराजीयात पर जमाबन्दी

इन्द्राज अभिलेख में दर्ज होकर प्रतिवादीगण सह खातेदार के रूप में काबिज काश्त चले आ रहे हैं। सह खातेदार को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया निर्णय विधिक एवं न्यायिक प्रक्रियाओं के विपरीत है।

7. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने तर्क दिया कि किशनराम दावे की सुनवाई के समय सेना में उत्तर भारत में कही तैनात था। चौथाराम नाबालिग था एवं लादूराम शिक्षित होने से हस्ताक्षर करता है जबकि उसका अंगूठा लगाया गया है। वकालतनामे पर सारे अंगूठे गलत है। हमने वकील नहीं किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रति प्रेषित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील खारिज की जावे।

8. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. को खारिज करने का निवेदन किया एवं तर्क दिया कि इस द्वितीय अपील के स्तर पर दस्तावेज पेश नहीं किया जा सकता। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रति प्रेषित किया गया है जिससे विचारण न्यायालय के समक्ष वादी अपीलार्थीगण के पास साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर है।

9. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने जबाब बहस में तर्क दिया कि किशनाराम ने प्रथम अपील नहीं की तथा लादूराम व चौथाराम के अंगूठे सही है। वकील इन्होंने ही किया है। केवल इन तीन के ही अंगूठा निशानी है बाकी का भी अंगूठा है। प्रथम तो चेाथाराम अवयस्क था ही नहीं, फिर भी कुदरती वली माता व अन्य सह काश्तकार जो सगे भाई थे पक्षकार थे। अब इनके कथनानुसार भी प्रथम अपील व द्वितीय अपील में बालिग के रूप में चाराजोही कर दी गई है और उसमें टिनेन्सी का स्त्रोत प्रकट नहीं किया है। किशनराम छुट्टी आकर हस्ताक्षर कर गया होगा। लादूराम ने अंगूठा ही किया, अन्यों के अंगूठे देखकर। वकील की शिकायत या इस प्रथम अपील के अतिरिक्त कोई कार्यवाही नहीं की। इनके द्वारा नियुक्त वकील ने जबाब हेतु अवसर मांगे किन्तु यह इन्द्राज के नुमाईशी होने से निष्क्रिय रहे। इन्हें टिनेन्सी का स्त्रोत प्रकट करना होगा कि पूर्व में अभिलेख में जब इनका नाम नहीं था तो पश्चात के अभिलेख में इनका नाम किस आधार/प्राधिकार से आया। इसका सप्रमाण कथन नहीं किया है। यह दूसरे गांव के तथा हमारे व इस आराजी से किसी भी रूप में असंबद्ध व्यक्ति हैं। प्रथम अपील इन्होंने की और यहां द्वितीय अपील तक इन्होंने अपने अधिकार स्त्रोत को प्रकट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में इनका नाम अभिलेख में रहने योग्य नहीं है अपितु हटाकर अभिलेख पूर्वानुसार दुरूस्त करने योग्य होने से विचारण न्यायालय का निर्णय सही है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अनावश्यक प्रतिप्रेषित किया है। अतः प्रथम अपीलीय

न्यायालय का निर्णय निरस्त कर विचारण न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे।

10. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

11. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

12. आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से 2014 एवं 2015 से 2016 का अवलोकन किया। उक्त लोक दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां है तथा प्रकरण से संबंधित हैं। ऐसी स्थिति में न्यायहित में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत दस्तावेजात अभिलेख पर लिये जाते हैं।

13. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण की तरफ से दिनांक 10.6.94 को अधिवक्ता की उपस्थिति पत्रावली आदेशिका में अंकित है। दिनांक 10.6.94 से दिनांक 22.7.95 तक प्रतिवादी संख्या 2 से 7 को जबाबदावा प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परन्तु जबाबदावा प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 22.7.95 को जबाबदावा बन्द किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण की ओर से विचारण न्यायालय में अधिवक्ता उपस्थित आए हैं एवं जबाबदावा हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया है। जबाबदावा प्रस्तुत नहीं करने पर उनका जबाब बन्द किया गया है।

14. प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण का यह तर्क कि उनकी ओर से अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया गया, मानने योग्य नहीं है क्योंकि विचारण न्यायालय की पत्रावली में अधिवक्ता का वकालतनामा उपलब्ध है तथा प्रतिवादीगण की तरफ से अधिवक्ता द्वारा गलत रूप से वकालतनामा प्रस्तुत किये जाने के संबंध में प्रथम अपील प्रस्तुत करने के अतिरिक्त किसी प्रकार की कार्यवाही का कथन नहीं किया गया है तथा ना ही किसी प्रकार की शिकायत आदि की गई है, के संदर्भ में सप्रमाण कथन किया है।

15. विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से तथा अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी आदि से यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजीयात सम्वत 2011 से 2014 में हजारी वल्द सालू जाट गावरो जालेरीरो बापीदार के रूप में अंकित है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2015, 2016 में विवादित आराजी बाबत कृषक का नाम कालम संख्या 6 में हरजी वल्द सालू जात रो जाट बापीदार अंकित है तथा काश्त के विवरण में हरजी

बापीदार का नाम अंकित हैं। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 में कालम संख्या 6 नाम उप कृषक विवरण में हजारी वल्द सालू जाट गांवरो जालेरीरो बापीदार अंकित है। सम्वत 2014 से 2016 में हरजी बेटो सालू रो जात रो जाट वासी गांव रो बापीदार अंकन होकर काश्त हरजीराम की अंकत है। सम्वत 2019 में काश्त ढाणी हराराम पुत्र सालू जाट की अंकित हैं। रसीद प्रदर्श 7ए, सम्वत 2011 हरजी वल्द सालू के नाम की हैं। गिरदावरी सम्वत 2018 हरजी के नाम की है।

16. उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात सम्वत 2002 के पूर्व से ही अर्थात जागीरदार हरिसिंह के समय से ही हरजीराम पुत्र सालू जाट के बापी की थी तथा हरजीराम द्वारा जागीरदार को लगान दिया गया है। कब्जा काश्त भी हरजीराम का ही चला आ रहा है। किसी भी खसरा गिरदावरी में कवंराराम की काश्त अंकित नहीं है। प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रथम अपील एवं इस द्वितीय अपील में भी ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे उनका कब्जा काश्त होना साबित होता हो। तथा इनके टिनेन्ट होने का स्त्रोत इन्होंने सप्रमाण कथन प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती जमाबन्दी में कवंरा राम का नाम सह खातेदार के रूप में बिना किसी विधिसम्मत (मान्य) आधार के दर्ज किया जाना वैध नहीं ठहराया जा सकता। दिनांक 15.10.55 को एवं उससे पूर्व वादीगण के पूर्वाधिकारी का नाम बापीदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है और प्रतिवादीगण/वर्तमान प्रत्यर्थीगण ने पश्चात में अपने नाम भूमि आने के विधिपूर्ण/ विधिमान्य स्त्रोत का सप्रमाण कथन नहीं किया है।

17. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को समुचित अवसर दिया गया है तथा उनकी ओर से जबाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से भी यह स्पष्ट है कि जागीरदार के समय से ही वादी अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी हरजी का ही कब्जा काश्त बापीदार के रूप में रहा है तथा लगान अदा किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है जिससे हम यह अपील स्वीकार करना उचित समझते हैं।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर का निर्णय दिनांक 24.2.2001 निरस्त किया जाता है तथा सहायक कलक्टर, बिलाडा का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.1.1996 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य